CNR No UPMH0100230**2026**

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, महराजगंज

उपस्थितः अरविन्द मलिक, एच0जे0एस0 आई0डी0यू0पी01904

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–601/2026

शम्भू प्रसाद पुत्र श्यामलाल उम्र करीब 65 वर्ष निवासी ग्राम कैथवलिया उर्फ बरगदहीं, थाना सोनौली, जनपद महराजगंज।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य ...अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–0036/2026
धारा–105,115(2),352,3(5)बी0एन0एस0 2023
थाना–सोनौली कोतवाली, जिला–महराजगंज।

30–05–2026 **निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क**

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त शम्भू प्रसाद की ओर से अपराध संख्या–0036/2026 धारा–105, 115(2), 352, 3(5) बी0एन0एस0 2023 थाना–सोनौली कोतवाली, जिला–महराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है।

2– आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत शपथपत्र में यह कथन किया गया है कि उसका इस न्यायालय में यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है और उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो दाखिल है और न ही खारिज हुआ है।

3– अभियोजन केस संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मनोज प्रजापति ने दिनांक 27–04–2026 को थाना सोनौली, जिला महराजगंज में इस आशय का तहरीर दिया कि दिनांक 26/27–04–2026 की रात्रि को अपने छोटे भाई की शादी दीनानाथ प्रजापति निवासी ग्राम कैथवलिया उर्फ बरगदही, थाना सोनौली जनपद महराजगंज की पुत्री के साथ हो रही थी। शादी में जयमाल के समय रात्रि 01:00 बजे वादी का छोटा भाई विनोद प्रजापति जयमाल स्टेज पर फोटो खीचने गया तो फोटो खीचने की बात को लेकर वादी के भाई विनोद को **शम्भू प्रसाद** पुत्र श्यामल निवासी ग्राम कैथवलिया उर्फ बरगदही थाना सोनौली जनपद महराजगंज, **लाल साहेब** पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम तुर्कवलिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर, **सुरेश प्रजापति** पुत्र छन्नू ग्राम बेलहिया राष्ट्र नेपाल एवं उसके अन्य साथी वादी

के भाई विनोद को लाठी–डन्डा से हमलावर होकर मारने पीटने लगे जिससे वादी के भाई के सिर में गम्भीर चोट लग गयी। चोट लगने के कारण वादी का भाई विनोद मौके पर बेहोश होकर गिर गया, अनुरोध किया कि न्यायोचित कार्यवाही की जाये। वादी की सूचना पर थाना सोनौली, जिला महराजगंज में दिनांक 27–04–2026 को समय 16:22 बजे अपराध सं0–0036/2026 अन्तर्गत धारा–110, 115(2) बी0एन0एस0 अभियुक्तगण शम्भू प्रसाद, लाल साहेब एवं सुरेश प्रजापति के विरूद्ध दर्ज किया गया। दौरान विवेचना इस मामले में धारा–110 को विलोपित करते हुये धारा–105, 352, 3(5) बी0एन0एस0 में मामले को परिवर्तित होना कहा गया है।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा अभिलेखों का सम्यक अवलोकन किया।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है। उसे मात्र रंजिशवश चन्द दुश्मनान की साजिश व प्रभाव में आकर गलत, झूठा एवं फर्जी तौर पर फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वादी मुकदमा ने अपने तहरीर में किसी स्वतन्त्र साक्षी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। आवेदक मौके पर मौजूद नहीं था। आवेदक वृद्ध व्यक्ति, उच्च रक्तचाप एवं मुधुमेह रोग से ग्रसित है। जेल में रहने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक विश्वसनीय प्रतिभूति देने को तैयार है, अनुरोध किया कि आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिल कर फोटो खीचने की बात को लेकर वादी के भाई के सिर में मारा पीटा गया जिससे वादी के भाई के सिर में गम्भीर चोट लग गयी और चोट लगने के कारण वादी का भाई विनोद मौके पर बेहोश होकर गिर गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अनुरोध किया कि जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारम्भ में धारा 110, 115(2) बी0एन0एस0 में दर्ज होना और दौरान विवेचना इस मामले में धारा–110 बी0एन0एस0 को विलोपित करते हुये धारा–105, 352, 3(5) बी0एन0एस0 में मामले को परिवर्तित होना कहा गया है।

7– इस मामले में स्वयं आवेदक/अभियुक्त शम्भू प्रसाद द्वारा 100 नम्बर पर फोन करके पुलिस को बुलाया जाना बताया गया है क्योंकि बाराती शराब पीकर आपस में मार कर रहे थे। मृतक विनोद प्रजापति को शराब के नशे में गिरना बताया गया है जिससे उसे हेड इंजरी आ गयी। वादी मुकदमा एवं विनोद आपस में सौतेले भाई हैं। पालिसी लेने के लिये रिपोर्ट दर्ज कराना बताया गया है। केस डायरी के अवलोकन से यह विदित है कि इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि

सुरेश व शम्भू ने मृतक को मारा पीटा था। आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में गांव के 29 लोगों के 29 शपथपत्र दाखिल किये गये हैं जिनके अनुसार कोई झगड़ा नहीं हुआ और न कोई मारपीट हुयी। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। अचानक झगड़ाजनित मामला होना कहा गया है। आवेदक अभियुक्त को एक माह से कारागार में बन्द होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अचानक झगड़ाजनित मामला होना कहा गया है। आवेदक अभियुक्त को एक माह से कारागार में बन्द होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8– प्रकरण के उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

9– तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त शम्भू प्रसाद का जमानत प्रार्थनापत्र **स्वीकार** किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का निजी बन्धपत्र एवं समान राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाए:–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के गवाहान को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा और न ही उनको किसी प्रकार की कोई धमकी आदि देगा।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा और बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत देश छोड़कर नहीं जायेगा।

10– उपरोक्त शर्तो में से किसी भी शर्त का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उसका यह जमानत आदेश सम्बन्धित न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

दिनाँकः 30–05–2026

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी0 1904
सेशन न्यायाधीश,
महराजगंज।

Digitally signed by ARVIND MALIK
Date: 2026.06.01 10:43:26 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court